The Representation of the People (Amendment) Bill, 2024 (amendment of sections 86 and 116A)

SHRI A.D. SINGH (Bihar): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI A.D. SINGH : Sir, I introduce the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri R. Girirajan to move for leave to introduce the Hindu Marriage (Amendment) Bill, 2024. He is not present.

***The Constitution (Amendment) Bill, 2022 (amendment of article 153 and substitution of articles 155 and 156)**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will take up the Constitution (Amendment) Bill, 2022 (amendment of article 153 and substitution of articles 155 and 156).

We shall take up further consideration of the following motion moved by Dr. V. Sivadasan on 9th December, 2022:-

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

On 8th December, 2023, Shri Naresh Bansal had not concluded his speech while participating in the discussion on this Bill. Shri Naresh Bansal - not present. Dr. M. Thambidurai - not present. Now, the hon. Minister.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार): आदरणीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य राज्यपाल की नियुक्तियों के संबंध में संविधान में संशोधन करने के लिए इस बिल को प्राइवेट मेम्बर्स बिल के रूप में लेकर आए थे। मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद और सदन को यह कहना चाहता हूँ कि जब देश आजाद हुआ, उस समय हमारे देश की संविधान सभा ने इस देश का संचालन कैसे हो, हर दृष्टि से प्रत्येक ऐसी बात पर जो हमारी संघीय व्यवस्था को मजबूत करे, उस पर चर्चा की और उसी चर्चा के दौरान यह बात भी बहुत प्रमुखता से आई थी कि राज्यपाल निर्वाचित व्यक्ति होना चाहिए या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होना चाहिए। इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई थी। इसमें अंत में संविधान सभा ने यह स्वीकार किया था कि इस पद पर भारत सरकार द्वारा चुने गए व्यक्ति द्वारा भरा जाना बेहतर होगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल, केन्द्र

* Further consideration continued on a motion moved on 9th December, 2022.

और प्रान्तों के बीच जो संबंध है, उसमें एक मजबूत कड़ी है। राज्यपाल के माध्यम से हमारी जो राष्ट्रीय सरकार है, वह प्रान्तों के हितों के संबंध में अच्छी तरह से व्यवस्थाएँ कर सकती है। आम तौर पर यह माना जाता है कि जिस तरह से राष्ट्रपति देश के संवैधानिक मुखिया के रूप में काम करते हैं और जैसी हम सबको जानकारी है कि पार्लियामेंट का रूप ही लोक सभा, राज्य सभा और राष्ट्रपति को मिलाकर पूरा होता है, उसी दृष्टि से जहाँ राष्ट्रपति की बहुत प्रमुख भूमिका होती है, वैसे ही राज्यपालों की भी प्रदेशों के लिए प्रमुख भूमिका होती है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please let him speak. ...

श्री अजय कुमार: आप जो भी प्रश्न पूछेंगे, मैं आपको उसका उत्तर दूँगा।

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, आप चेयर को सम्बोधित करें। आपस में बात नहीं करें।

श्री अजय कुमार: माननीय उपसभापति जी, ...(**व्यवधान**)...

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, he is ready to yield. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him reply. *...(Interruptions)...* John Brittas ji, please take your seat. Let him reply. *...(Interruptions)...*

श्री अजय कुमार: माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि मैं अपनी स्पीच पूरी कर लूँ, उसके बाद अगर आप अनुमति देंगे, पीठ का जैसा आदेश होगा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं सक्षम हूँ। ...(**व्यवधान**)...

DR. JOHN BRITTAS: Thank you very much, Sir. *...(Interruptions)...*

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, आप बोलिए।

श्री अजय कुमार : महोदय, जैसा मैंने कहा ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आपके बोलने के बाद इस बिल के mover, डा. वी. शिवादासन बोलेंगे।

श्री अजय कुमार : महोदय, आप जैसी भी व्यवस्था देंगे, मैं वैसा करूँगा।

श्री उपसभापति : रूल्स बने हुए हैं। *...(Interruptions)...* Dr. Brittas, it is not going on record. *...(Interruptions)...*

श्री अजय कुमार : मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)... मैं पीठ से कह रहा हूँ कि पीठ की जैसी व्यवस्था होगी - मैं पीठ से कह रहा हूँ, मैं सीधे आपसे नहीं बोल रहा हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Minister, rules and procedure are very clear. We will follow it.

श्री अजय कुमार : माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि माननीय सदस्य ने अपने बिल के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 153, 155 और 156 में संशोधन के लिए अनुरोध किया है। वास्तव में यह हमारे संघीय ढाँचे के खिलाफ है। अगर इस तरह के संशोधनों को स्वीकार किया जाता है, तो संविधान सभा के द्वारा जो व्यवस्था बनायी गयी थी, उस व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावनाएँ बनती हैं। इस दृष्टि से वे यह जो बिल लाये हैं, मैं यह समझता हूँ कि यह सदन बहुमत के साथ उसको अस्वीकृत करेगा। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय संस्थाओं के लिए जो व्यवस्थाएँ बनायी गयी थीं, उसी दृष्टि से पार्लियामेंट का एक रूप दिया गया कि पार्लियामेंट का पूरा स्वरूप यह होगा कि लोक सभा, राज्य सभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर पार्लियामेंट होता है। जब उसमें यह विषय आया कि लोक सभा के माध्यम से लोगों की भावनाओं के विषय में उनकी जो आकांक्षाएँ हैं, वे राष्ट्रीय स्तर पर उठायी जा सकें, उनकी प्रतिपूर्ति की जा सके और लोगों की इच्छाओं के अनुरूप शासन चल सके, तो उस दृष्टि से जहाँ लोक सभा की बड़ी भूमिका होती है, वहीं राज्य सभा राज्यों की सभा होती है। राज्यों में जो जनप्रतिनिधि हैं, वे राज्य सभा के सदस्यों को इसीलिए वहाँ से चुन कर राज्य सभा में भेजते हैं। अभी जैसी व्यवस्था है, उसके लिए मैं नहीं कहता, लेकिन आम तौर पर संविधान की जो मंशा थी, वह मंशा यह थी कि राज्य सभा में जिन राज्यों से चुन कर सदस्य आयें, वे हमारे लोकतंत्र के जो प्रहरी हैं, हमारे जो लोग लोक सभा में हैं, वे जनाकांक्षाओं के अनुरूप जो बिल्स लायें, उनकी समीक्षा उनको करनी चाहिए कि अपने राज्यों के हित में वे कैसे हैं। उनकी पार्टीगत जो भी प्रतिबद्धताएँ हों, उनसे ऊपर उठ कर उन्हें राज्य के लिए सोच कर काम करना चाहिए। इसलिए राज्य सभा के सदन के बारे में यह कहा जाता है कि लोक सभा से बिल के पारित होने के बाद उसे राज्य सभा में आना चाहिए। उसके बाद वह बिल जब राष्ट्रपति के पास जाता है, तो वह इसी दृष्टि से जाता है कि राष्ट्रपति उसमें यह देखते हैं कि वह हमारे देश के प्रतिकूल तो नहीं है। इस तरह कुल मिलाकर पार्लियामेंट की जो भावना होती है, वह यह होती है कि लोगों के साथ-साथ संघ में शामिल हमारे प्रदेशों और राष्ट्र - इन सारे लोगों के हित में ही कोई बिल हमारी पार्लियामेंट से पास हो और लोगों के हितों के अनुरूप वह काम करे। उसी दृष्टि से संविधान सभा में, हमारा जो संघीय ढाँचा है, उसमें राज्यों के संवैधानिक प्रमुखों के रूप में राज्यपालों की नियुक्ति के विषय में जब यह बात कही गयी, तो यह बात उभर कर आयी कि राज्यपालों को कैसे नियुक्त किया जाए। कई लोगों ने संविधान सभा में इस बात को कहा था कि राज्यपालों का जो चुनाव हो, उनको निर्वाचित किया जाए, लेकिन संविधान सभा में सारे विद्वानों ने बहुत लम्बी चर्चा करने के बाद एकमत होकर यह तय किया कि चुने हुए व्यक्ति से - अगर हम उसको चुनते हैं, तो राज्य और केन्द्र सरकार, दोनों के बीच न केवल प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध होंगे, बल्कि वह व्यक्ति किसी न किसी दल के प्रति समर्पित हो जाएगा,

जबकि संविधान ने यह अपेक्षा की थी कि राज्यपाल की, जो पार्टीगत प्रतिबद्धताएँ हों, उनसे ऊपर उठ कर वह निष्पक्ष रूप से यह देखे कि उस राज्य के हित में क्या है और राज्य से केन्द्र के सम्बन्ध किस तरह के हों। उस दृष्टि से राज्यपाल एक संवैधानिक मुखिया के तौर पर चुने जाते हैं। उन्होंने अपने संविधान संशोधन बिल में अनुच्छेद 153 में यह कहा है कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से राज्यपाल का चुनाव किया जाए। यह निश्चित रूप हमारे संघीय ढांचे के प्रतिकूल होगा। अगर इस तरह से व्यक्ति को चुना जाता है, तो वह अपनी प्रतिबद्धताओं के कारण, जहाँ से वे चुनाव जीत कर आते हैं, उस दृष्टि से वे अपने निर्णय लेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किए जाने से सीधे-सीधे प्रदेश सरकार और संघीय सरकार के बीच में एक बेहतर संवाद स्थापित होता है, बेहतर संबंध स्थापित होता है और राज्यों की स्थितियाँ जो हैं, उन राज्यों के हितों में राज्यपाल निष्पक्ष रूप से पार्टी से ऊपर उठ कर अपना निर्णय लेते हैं, जिससे राज्य और राज्य के लोगों को फायदा होता है। उस दृष्टि से उस समय की संविधान सभा ने यह तय किया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। उसके बाद 1956 में एक संविधान संशोधन आया था। सातवाँ संविधान संशोधन 1956 में आया था। पहले संविधान के अनुच्छेद 153 में यह था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। उन्होंने इसमें भी कहा कि 'परन्तुक' हटा दिया जाए। 1956 में सातवें संविधान संशोधन के द्वारा यह लाया गया था और इस अनुच्छेद में यही बात कही गई है कि यह एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने से नहीं रोकेगी। मेरे ख्याल से उस समय इस तरह की कोई समस्या आई होगी कि किसी राज्य में किसी कारण से राज्यपाल नहीं होंगे और राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई होगी, इसलिए उस दृष्टि से 1956 में संविधान में इस तरह का संशोधन लाया गया होगा कि एक ही व्यक्ति को दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों में राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया जा सके। यह संघीय ढाँचे को बनाने के लिए और एक सुविधाजनक व्यवस्था बनी रहे, उस दृष्टि से 1956 में यह 'परन्तुक' जोड़ा गया था। वे इसके लोप की बात कह रहे हैं, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं है और उससे कोई लाभ भी नहीं होने वाला है।

महोदय, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 155 में संविधान संशोधन के लिए कहा है। इसके तहत यह है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर के साथ की जाती है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा। उन्होंने इसके लिए कहा है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाए, बल्कि इनका चुनाव हो। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल का चुनाव राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य और ग्राम पंचायतों के सदस्यों के द्वारा किया जाए। यह तो एक तरह से जैसे सरकार चुनकर आती है, विधायक का चुनाव होता है, मुख्य मंत्री चुने जाते हैं, वहाँ के मंत्री चुने जाते हैं, प्रदेश की सरकार चुनी जाती है, वैसे ही हो गया। अगर ऐसा होगा, तो इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। अगर इस तरह का कोई चुना हुआ मुखिया होगा, तो उसको तो हम ऐसी ही दृष्टि से देखेंगे, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति है। इस तरह से वह उस सरकार के ऊपर बड़ा पद हो जाएगा और यह हमारे संघीय ढाँचे के लिए ठीक नहीं है। माननीय सदस्य प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से राज्यपाल का चुनाव कराना चाह रहे हैं, जो किसी भी दृष्टि से हमारे संविधान के लिए भी ठीक नहीं है और संघीय ढाँचे के लिए भी ठीक नहीं है।

उन्होंने तीसरा जो संशोधन दिया है, वह अनुच्छेद 156 में संशोधन के लिए दिया है। इस संबंध में संविधान में यह व्यवस्था है कि राज्यपाल, राष्ट्रपति के द्वारा जो कहा जाएगा, उसके

अनुसार वे अपने पद को ग्रहण करेंगे। अगर राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं और उसके बाद अगर वे बीच में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए यह व्यवस्था है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर के तहत लिखित रूप से अपने पद से त्याग पत्र भी दे सकते हैं।

इस अनुच्छेद का तीसरा भाग यह है कि इस अनुच्छेद के पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन राज्यपाल उस तारीख से पाँच साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिस दिन वह अपना पद ग्रहण करता है, बशर्ते कि राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बना रहता है, जब तक कि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं आता है। यह एक समुचित और सुव्यवस्थित तरीका है। लेकिन, अभी उन्होंने संविधान में संशोधन के संबंध में कहा है कि राज्यपाल पद ग्रहण की तारीख के पाँच साल की अवधि के लिए तब तक पद धारण करेगा, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। उसके सापेक्ष इन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति की इच्छानुसार , राष्ट्रपति के कहने के अनुसार ,राष्ट्रपति के आदेशानुसार ,राज्यपाल अपने पद को धारण करेगा , तो यह पूरी तरह से अनुच्छेद 156 के खिलाफ भी है और हमारे संघीय ढांचे के अनुकूल भी नहीं है।

दूसरा, हमने कहा है कि राज्यपाल अगर चाहें तो वे अपने पद को छोड़ सकते हैं। उसके लिए उन्होंने कहा है कि राज्यपाल राज्य विधान सभा के अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर से युक्त पत्र के माध्यम से लिखित रूप में अपना पद त्याग कर सकता है। राज्यपाल संवैधानिक रूप से प्रदेश का मुखिया होता है। यदि वह विधान सभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा तो उसका कोई औचित्य नहीं है और यह बहुत हास्यास्पद भी है कि कोई राज्यपाल विधान सभा के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे। विधान सभा के अध्यक्ष को तो इस्तीफा चुनी हुई सरकार के लोग दे सकते हैं, क्योंकि उसके जो विधायक होते हैं या जो दूसरे दल के होते हैं, वही देते हैं, बाकी उनका मुखिया अपना त्यागपत्र राज्यपाल को जाकर देता है। जो मुख्य मंत्री होता है, उसको अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देना होता है। यदि उसे अपने किसी मंत्री को हटाना है या किसी मंत्री को शपथ ग्रहण कराना है, तो इसके लिए भी वह राज्यपाल के पास जाता है। उस दृष्टि से इस अनुच्छेद में वे जो व्यवस्था चाह रहे हैं, वह पूरी तरह से प्रतिकूल है।

उन्होंने संविधान में संशोधन के विषय में तीसरी बात यह कही है कि अगर विधान सभा चाहे, तो वह दो-तिहाई बहुमत से राज्यपाल को उसके पद से हटा दे। यह भी एक तरीके से हमारे संविधान के एकदम खिलाफ है। माननीय राष्ट्रपति जी का जो आदेश होता है -- सॉरी सर, बीच में फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। उन्होंने यह बोला है कि माननीय राज्यपाल के खिलाफ अगर वे चाहें तो राज्य विधान सभा में दो-तिहाई बहुमत से उनको उनके पद से हटा सकते हैं। यह अनुच्छेद 153 का सीधा उल्लंघन हो जाएगा, जिसमें हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। अब राज्यपाल की नियुक्ति उनके द्वारा की जाए और 156(2) में, जैसा कि उन्होंने कहा कि माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्त व्यक्ति को अपना त्यागपत्र माननीय विधान सभा अध्यक्ष को देना चाहिए, तो उन्होंने क्या सोचकर यह कहा है, मैं उस बात की व्याख्या में नहीं जाऊंगा। इसी से संबंधित उन्होंने दूसरी बात यह कही कि दो-तिहाई बहुमत के माध्यम से हम इस तरह से इसको लेकर आए हैं।

माननीय उपसभापति जी, मैं समझता हूं कि उन्होंने जो ये तीनों संविधान संशोधन दिए हैं, ये वास्तव में हमारी सोच के भी खिलाफ हैं तथा हमारी जो संघीय व्यवस्था है, संघीय ढांचा है और हमारा जो एक बहुत खूबसूरत संविधान बनाया गया था, ये उसके खिलाफ भी हैं। जब 1950 में

हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, उससे पहले 11 सत्रों में 165 दिन तक इस पर लगभग 400 विद्वानों ने निरंतर चर्चा की थी और चर्चा करने के बाद एक-एक अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए बताया था कि यह हमारे देश के लिए किस तरह से उचित होगा और उस तरह से उन्होंने इस संविधान की व्यवस्था की थी। 26 जनवरी, 1950 को यह संविधान हमारे देश में जैसे ही लागू हुआ, पूरी दुनिया के लोगों ने इस संविधान की बहुत प्रशंसा की और प्रशंसा करते हुए यह कहा कि भारत के संविधान में वास्तव में लचीलापन भी है और लचीलेपन के साथ-साथ ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं, जिनके माध्यम से यह देश अपनी विदेश नीति, रक्षा नीति, आर्थिक नीति, इन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ सकता है। उन्होंने जिस तरह से ये व्यवस्थाएं की थीं, उनमें आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 36 से 51 के बीच जो नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं, उनमें भी स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई है कि हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंध अनुच्छेद 51 के माध्यम से तय होंगे और अनुच्छेद 37 से 50 के माध्यम से यह तय होगा कि हमारे देश में कैसी व्यवस्थाएं हों। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नीति निर्देशक तत्व भी लिखे गए हैं। हमारे संविधान का जो चौथा अध्याय है, जिसमें अनुच्छेद 51 के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में चर्चा की गई है, उसमें भी विस्तार से यह बताया गया है कि सरकार और माननीय राष्ट्रपति जी की क्या भूमिका है और साथ ही, अन्य देशों के साथ हमारे संबंध कैसे हों, इसके बारे में भी बताया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान इस तरह से पूरा व्यवस्थित है, जिसमें बहुत ज्यादा संशोधनों की आवश्यकता नहीं है। यह बात अलग है कि हमारे देश की जो लोक सभा और राज्य सभा है, चूंकि उनको इसमें ऐसा अधिकार प्राप्त है, इसलिए कई मौकों पर संविधान संशोधन भी हुए हैं। माननीय उपसभापति महोदय, कई बार तो बड़े आश्जर्यजनक संशोधन हुए हैं। अगर हम लोग बात करें तो देश में जब वर्ष 1950 में संविधान बना, उसी दौरान हमारे देश में एक वैकल्पिक सरकार बनी थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस देश के प्रधान मंत्री बने थे, उस दौरान दो अखबारों ने, एक ऑर्गनाइज़र था, दूसरा हमारा crossroad अखबार था। उन दोनों अखबारों में आलोचना होने के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वर्ष 1951 में उन अखबारों को प्रतिबंधित किया था। वे अखबार कोर्ट में चले गए और हाई कोर्ट ने उनके प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह खेद व्यक्त करना चाहूंगा कि पहले आम चुनाव से पहले ही हमारे देश में संविधान संशोधन तत्कालीन सरकार के द्वारा लाया गया था, सिर्फ इसलिए लाया गया था कि लोगों के बोलने की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सके या उसको प्रतिबंधित किया जा सके। ऐसे अनेक संशोधन हुए हैं। हम लोगों को वह काल भी याद है, जब इस देश में 39वां संविधान संशोधन हुआ था। वह संविधान संशोधन केवल उस समय की प्रधान मंत्री की कुर्सी को बचाने के लिए हुआ था। 12 जून, 1975 को प्रयागराज हाई कोर्ट का एक निर्णय आया था, उस निर्णय के द्वारा रायबरेली का चुनाव अवैध घोषित किया गया था, चुनाव को अवैध घोषित करने के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को बदलने के लिए 7 अगस्त, 1975 को लोक सभा में एक बिल पारित किया गया और उसके द्वारा प्रधान मंत्री की जांच नहीं हो सकती, प्रधान मंत्री के पद को न्यायिक समीक्षा में नहीं लाया जा सकता, ऐसा बिल पास किया गया और 8 अगस्त, 1975 को राज्य सभा में वही बिल दोबारा पारित करके प्रदेशों के लिए भेजा गया। 9 अगस्त को इस देश की 17 विधान सभाओं में उस बिल को पारित किया गया, उनकी सहमति ली गई और 10 अगस्त को रविवार के दिन राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर लिए गए और 10 अगस्त को ही वह गजट भी कर दिया

गया था। इस तरह से भी इस देश में संविधान संशोधन हुए हैं। एक महिला को गुज़ारा भत्ता न देना पड़े, इसके लिए भी इस देश की लोक सभा और राज्य सभा ने संविधान संशोधन किए हैं, लेकिन वहीं पर लगातार संविधान संशोधन होते जाएं, इसका कोई औचित्य नहीं होता है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी संविधान संशोधन किए हैं, लेकिन हमने केवल 8 संविधान संशोधन किए हैं, उन 8 संविधान संशोधनों को आपकी अनुमति से मैं यहां बहुत संक्षेप में रखना चाहता हूं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो पहला संविधान संशोधन किया, वह न्यायिक सेवाओं में एक आयोग के गठन के लिए किया था - न्यायिक सेवाओं में नियुक्तियों के लिए एक आयोग बने, उसके गठन के लिए हमने पहला संविधान संशोधन किया था। फिर हमने दूसरा संविधान संशोधन किया। हमने बंगलादेश की सीमाओं के साथ 40 वर्ष से अधिक समय से जो विवादित क्षेत्र था, उस क्षेत्र के गावों का परिवर्तन एक-दूसरे से हो सके, उनके नागरिक किसी एक देश के नागरिक बन सकें, उनको नागरिकता प्रदान की जा सके, उस दृष्टि से हमारी सरकार ने दूसरा संविधान संशोधन किया था। हमारी सरकार ने जो तीसरा संविधान संशोधन किया, वह देश में एक टैक्स, एक देश बनाने के लिए, जीएसटी लागू हो, उसके लिए हमारी सरकार ने तीसरा संविधान संशोधन किया था। हमने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए चौथा संविधान संशोधन किया था। पहले यहां पिछड़ा वर्ग की बहुत बातें होती थीं, बहुत सारे लोग चर्चा भी करते थे, लेकिन इससे पहले किसी भी सरकार ने यह चिंता नहीं की थी कि पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। हमारी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए चौथा संविधान संशोधन किया था। महोदय, गरीब तबके के वे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उन लोगों को आर्थिक आधार पर स्कूली शिक्षा से लेकर नौकरियों तक में 10 परसेंट रिज़र्वेशन दिया जाए, इसके लिए हम 5वां संविधान संशोधन लेकर आए थे। छठा संविधान संशोधन इसलिए लेकर आए थे कि राज्यों में और लोक सभा में जो हमारी रिज़र्व्ड सीट्स होती हैं। उन रिजर्व्ड सीट्स का कार्यकाल 25 January, 2020 को खत्म हो रहा था। 25 जनवरी, 2020 को उनकी reserved seat का जो quota होता है, वह समाप्त होने वाला था। हमारा जो छठा संविधान संशोधन था, उसको हम इसलिए लेकर आए थे कि राज्यों में और लोक सभा में reserved सीटें, आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बनी रहें। हमने उसमें Anglo Indian का लोप कर दिया था। Anglo Indian के लिए जो सुरक्षित सीटें थीं, उनको हटा दिया था, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीट्स का reservation 10 साल तक वैसे ही बरकरार रहे, उसके लिए हम छठा संविधान संशोधन लेकर आए थे। हम सातवां संविधान संशोधन इसलिए लेकर आए थे, क्योंकि राज्यों को हमने एक अलग से अधिकार दिया था। राज्यों को उनके अधिकार को बहाल करने के लिए कि वे अपने प्रदेश में शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को चिन्हित कर सकें और उनके लिए उनके जीवन में एक अच्छा बदलाव आए, उस दृष्टि से व्यापक परिवर्तन कर सकें, उसके लिए उनके अधिकार को बहाल करने के लिए हमने सातवां संविधान संशोधन किया था। आठवां संविधान संशोधन, जो वास्तव में आज नहीं, इस देश के आने वाले भविष्य पर भी बड़ा प्रभाव डालने वाला है, तो हम महिलाओं को देश की विधान सभाओं और लोक सभा में आरक्षण देने के लिए नारी वंदन अधिनियम, 2023 के लिए लेकर आए थे। हमने ये आठ संविधान संशोधन किए हैं। नारी वंदन अधिनियम लेकर आए हैं, उसके द्वारा न केवल महिलाओं को प्रदेश की विधान सभाओं और लोक सभा में आरक्षण मिलने जा रहा है, वहीं यह बात

भी हम लोग निश्चित रूप से जानते हैं कि इसका व्यापक प्रभाव होगा। अभी जिस तरह से दस वर्षों में हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से काम किया है, महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए हमने एक आयाम पर ही काम नहीं किया है, हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि हम महिलाओं का सशक्तीकरण नहीं कर रहे, महिलाओं का विकास नहीं कर रहे हैं, महिलाओं के नेतृत्व में राष्ट्र का विकास कर रहे हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. *...(Interruptions)...* Please. *...(Interruptions)...*

श्री अजय कुमार : उस दृष्टि से जो आठवां संविधान संशोधन किया है, मैं उसके बारे में बोल रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : मंत्री जी, आप बोलिए। Please. *...(Interruptions)...* Please. *...(Interruptions)...* आपस में बात मत कीजिए। Please. *...(Interruptions)...*

श्री अजय कुमार: ये विद्वान आदमी हैं, बता सकते हैं। हम तो सबसे सीखते हैं।...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: *Mananiya* Members, take your seat. *...(Interruptions)...*

श्री अजय कुमार : उपसभापति जी, संविधान में संशोधन क्यों होना चाहिए, पहला विषय यह है। पहला विषय यह है कि संविधान में संशोधन क्यों होना चाहिए? संविधान में यही व्यवस्था है कि अगर लोकहित में, देशहित में, राष्ट्रहित में और लोगों के जीवन में अच्छा परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक हो, तो संविधान में संशोधन होना चाहिए, लेकिन बेमतलब संविधान संशोधनों का औचित्य क्या है? इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमने जो आठ के आठ संविधान संशोधन किए हैं, उसमें एक भी संविधान संशोधन, जो हमने किया है...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No talk, please. *...(Interruptions)...* Dr. John Brittas, please, nothing is going on record. *...(Interruptions)...* Please. *...(Interruptions)...* आपकी कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। ...(**व्यवधान**)... Please take your seat. *...(Interruptions)...*

श्री अजय कुमार: महोदय, मैं इन लोगों की पीड़ा समझता हूं। मेरी सहानुभूति इनके साथ है। मैं स्वाभाविक रूप से पूरी सहानुभूति इनके साथ रखता हूं। इनकी हताशा और निराशा है, जिसके कारण ये कहते हैं, लेकिन मैं उसका बुरा नहीं मानता हूं। ये हमारे आदरणीय साथी हैं, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं। यह बात अलग है कि वे इस समय जिन स्थितियों में हैं, हमारी सहानुभूति उनके साथ है। मैं निरंतर उनके साथ सहानुभूति रखूंगा।...(**व्यवधान**)...
MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. *...(Interruptions)...*

श्री अजय कुमार : मैं केवल संविधान संशोधन के विषय में ही आपको बोल रहा हूं।

श्री उपसभापति : प्लीज़, माननीय जॉन ब्रिटास, आपकी कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। माननीय मंत्री जी की बात ही रिकॉर्ड पर जा रही है।

श्री अजय कुमार: उपसभापति जी, यह देश की पहली सरकार है, जिसने सभी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान किया है। हमने किसी भी संस्था के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। राज्यपाल के अपने अधिकार होते हैं। राज्यपालों को ये लोग जरूर आदेश देते थे और वे काम करते भी होंगे। मैं उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। यह इनका स्वभाव है। ये अपने स्वभावगत कारणों से हम लोगों के ऊपर भी आक्षेप लगाते हैं। ये कई बार कहते हैं कि ईडी है, सीबीआई है। हमारे यहां पर ईडी और सीबीआई सभी स्वतंत्र संस्थाएं हैं। अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लग जाता है, तो कहते हैं कि प्रधान मंत्री ने करवा दिया, किसी की जांच होती है, तो कहते हैं कि प्रधान मंत्री ने करा दिया, किसी की जांच होकर चार्जशीट लग जाती है, तो कहते हैं कि प्रधान मंत्री ने करा दी। जब जेल चले जाते हैं, तो कहते हैं कि प्रधान मंत्री ने भेज दिया, अदालत जमानत नहीं देती है, तो प्रधान मंत्री जमानत नहीं देते हैं। पहले तो कह रहे थे कि मोदी जी, हिम्मत है तो हमको भेजो। अब जब जेल चले गये, जमानत नहीं हो रही है, तो हम लोग उसमें क्या करें? अब यह सत्यनारायण भगवान का प्रसाद तो नहीं है कि एक तरफ से सबको बांट दिया जाए। जिसके ऊपर आरोप होगा, उसकी जांच भी होगी। अगर जांच के साथ-साथ आरोप सिद्ध पाए गए, तो चार्जशीट भी होगी और चार्जशीट में अगर साक्ष्य भी होंगे, तो उसको सजा भी होगी। यह हमारे देश की व्यवस्था है। माननीय उपसभापति जी, उन्होंने मेरा ध्यान दूसरी तरफ भटका दिया। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आप विषय पर बोलिए।

श्री अजय कुमार: सर, मैं विषय पर ही हूं कि संविधान संशोधन क्यों होना चाहिए। मैंने उनके संविधान संशोधन, चाहे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया पहला संविधान संशोधन हो। इस देश में जिस संविधान की बहुत प्रशंसा हो रही थी, केवल 18 महीने से कम समय में ही, 18 मार्च, 1951 को पहला संविधान संशोधन पहले आम चुनाव से पहले जिस सरकार ने किया हो, उसने संविधान के साथ कैसा न्याय किया होगा, इसे मैं आप सबके विचार के लिए छोड़ता हूं और मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन जिस तरह से आपातकाल में संविधान संशोधन हुआ था, उसको देश ने देखा है कि किस तरह से संविधान का ढांचा उलट-पुलट कर दिया गया था। जैसा कि मैंने अभी पूर्व में कहा कि केवल 7,8,9, 10 अगस्त को रविवार के दिन राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर लिया जाता है और उसी दिन गज़ट होता है और यह केवल इसीलिए होता है कि उच्च न्यायालय के अधिकार को रोका जा सके। उसको रोक कर के वे ही प्रधान मंत्री बने रहें, इसलिए आपातकाल लेकर आया गया था। जो संविधान संशोधन हमने किए हैं, हम उनके बारे में बता रहे हैं। अगर हम पूरी कहानी बताएंगे, तो वह बहुत लम्बी है। कई लोगों का स्वभाव होता है और यह स्वभावगत होता है। कई लोग किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते

हैं, इसलिए वे संविधान में संशोधन लेकर आते हैं। उनको आलोचना बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए संविधान संशोधन लेकर आए। न्यायालय का आदेश उनके पक्ष में नहीं था, इसलिए वे संविधान में संशोधन लाए। न्यायालय में वोट बैंक की राजनीति थी, इसलिए संविधान में संशोधन लाए और कई लोग तो ऐसे थे, जिनके हाथ में संविधान संशोधन नहीं था, तो उन्होंने पार्लियामेंट से लाया हुआ बिल प्रेस के सामने फाड़ दिया था। ये इन लोगों का स्वभाव है। वे स्वभावगत कारणों से इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यह देश संविधान से चले, व्यवस्थाएं संविधान से चलें और इसी कारण वे इस तरह के संविधान संशोधन करते हैं, लेकिन हम ऐसे संविधान संशोधनों में न तो विश्वास रखते हैं, न ऐसे संविधान संशोधन हमारी सरकार ने किए हैं। मोदी जी की सरकार ने जो आठ संविधान संशोधन किए हैं, मैंने उनके कारणों के बारे में बहुत संक्षेप में आपको बताया है। मैं इस सदन में सभी को चैलेंज करता हूं कि इन आठ संविधान संशोधनों में कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था, जो नहीं होना चाहिए था, जिसके द्वारा इस देश के लोगों का और इस राष्ट्र का हित नहीं हुआ है, ऐसा कोई भी संविधान संशोधन मोदी जी की सरकार ने नहीं किया है। इसलिए मैंने इस बात को कहा है । मैंने यह बात भी कही है कि संविधान संशोधन के साथ-साथ संविधान का सम्मान करना जरूरी है। संविधान का सम्मान भी हमारी सरकार ने किया है । संविधान के चौथे अध्याय में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक जो व्यवस्थाएं दी गई हैं। माननीय उपसभापति जी, मैं आपसे अनुमति लेकर 2 मिनट इस विषय के बारे में बोलना चाहता हूं। जिस तरह से मोदी जी ने संविधान के संशोधन को किया है और संविधान का उपयोग कैसे लोगों के लिए किया जाए, वह किया है । हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वे अध्याय 4 में दिए गए हैं, जहां अनुच्छेद 36 में परिभाषा है और अनुच्छेद 37 से 50 तक इस देश के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कैसे आए, उस दृष्टि से नीतियां बनाई गई हैं और उसमें निर्देश दिए गए हैं कि अगर चुनी हुई सरकार इन पर चलेगी तो राष्ट्र के लोगों का भी हित होगा और राष्ट्र के लोगों के जीवन में अच्छा परिवर्तन आएगा और मोदी जी ने उन सारी चीजों को किया है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, चाहे वह शिक्षा हो। अगर हम इसके डिटेल में जाएंगे तो कहेंगे कि मोदी सरकार की ये उपलब्धियां बता रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा । हम संक्षेप में यह जरूर कहेंगे कि हमने चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, लोगों को घर देना हो, घरों में शौचालय बनवाना हो, पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाना हो, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाना हो और लगभग चार लाख किलोमीटर पक्की सड़कें बनाकर गांवों को जोड़ना हो , इसके साथ-साथ लोगों के जीवन में सुविधाएं बढ़ाने का काम भी हमने किया है। हवाई जहाज हो, रेल हो, नेशनल हाइवे हो, परिवहन के अन्य साधन हों, इनके साथ-साथ बिजली की पूरी आपूर्ति हो, लोगों को समय पर पानी मिलना हो। सर, आज जब लोग जाते हैं, तो मोबाइल पर boarding pass निकाल लेते हैं, बिजली का बिल जमा करा देते हैं, फोन का बिल जमा करा देते हैं। 2014 से पहले कैसी परिस्थितियाँ हुआ करती थीं? आज बैंक जाने के लिए बैंक की लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती है। ..(**व्यवधान**)...जहाँ हमने लोगों की जरूरतें पूरी की हैं, वहीं पर जीवन जीने की सुविधाएं भी बढ़ाई हैं। उसके साथ-साथ देश का infrastructure भी बड़ा हो, उस दृष्टि से भी हमारी सरकार ने काम किया है। माननीय उपसभापति जी, उस दृष्टि से भी ..(**व्यवधान**)...

DR. JOHN BRITTAS: What is the relevance?*...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*...Please. ...*(Interruptions)*... Please speak on the subject, we have to...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... Yes. ...*(Interruptions)*...

श्री अजय कुमार: मैं उसी पर बोल रहा हूं, मैं संविधान पर ही कह रहा हूं। संविधान संशोधन क्यों होना चाहिए, मैं उस पर बोल रहा हूं।

श्री उपसभापति : कृपया, आपस में बात मत कीजिए। माननीय मंत्री जी, आप अपना जवाब दीजिए।

श्री अजय कुमार: आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, अभी बाहर चलेंगे, कॉफी पिएंगे। माननीय उपसभापति जी, मैं यह सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि यह संविधान बहुत सुंदर है। इस देश के विद्वानों ने जब इस संविधान को बनाया, तो पूरी दुनिया में इसकी प्रशंसा हुई और यह वास्तव में देश में लोकतंत्र को कायम करने में खरा उतरा है। आज जो संविधान है, उसी के कारण आज पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक और सबसे बड़ा देश, जिसने लोकतंत्र को अच्छी तरह से पाला-पोसा है और जहाँ पर पूरी तरह से लोकतंत्र है, वह केवल भारत देश है। उन्होंने उस दृष्टि से कहा है। ...(**व्यवधान**)... हाँ, इमरजेंसी को छोड़कर बता रहे हैं, लेकिन वह इनका विषय है, कानून के बारे में ये बताएंगे। माननीय उपसभापति जी, मैं यही कह रहा था और अब मैं उस पर बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगा। ...(**व्यवधान**)... मैं बस खत्म कर रहा हूं। सर, जो 36 से 50 था, उसमें जहाँ हमने ये जो दो काम किए, वहीं पर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो - इसके लिए भी सरकार ने काम किया है। संविधान के अध्याय चार में जो व्यवस्था दी गई थी, उसके लिए किसी भी सरकार पर ऐसा दबाव नहीं था कि इसे करना जरूरी है, यह सरकार की स्वेच्छा पर था कि वह इन नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करती है या नहीं करती है, लेकिन हमारी सरकार ने उन नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करके पिछले दस वर्षों में जहाँ लोगों की जरूरतें पूरी कीं, उनके लिए सुविधाएँ बढ़ाईं, वहीं लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का काम भी किया है।

महोदय, उसी का अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर था। उसमें ये चार बातें प्रमुख रूप से कही गई थीं, इन पर मैं बहुत विस्तार से नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इसके साथ यह कहना चाहता हूं कि जो ये चार बातें कही गई थीं, इनमें इस प्रकार से था कि हमारे देश का पूरी दुनिया के साथ इस तरह से संबंध होगा कि हम दुनिया में, दुनिया के देशों के साथ अपने विश्वास और सुरक्षा की सहमति रखें। दूसरा, अगर कोई विवाद होता है, तो उसे पंचायत के द्वारा निपटाएं। हम दूसरे देशों के साथ सम्मान के आधार पर संबंध निश्चित करेंगे और अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियों का पालन करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले दस वर्षों में मोदी सरकार ने जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यावहारिक विदेश नीति को अपनाकर काम किया है, उससे हमने न केवल दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं, बल्कि दूसरे देशों में, जहाँ लोगों को जरूरतें थीं, उन लोगों की जरूरतें पूरी की हैं, उनके साथ सम्मान रखा गया। हमने अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संधियों का पालन भी किया है। उस दृष्टि से आज जो दुनिया में भारत की छवि एक अलग तरह के

देश की बनी है, वह हमारे देश के संविधान के कारण ही बनी है। यह संविधान इतना सुंदर है कि इस संविधान का पालन करने के कारण आज ऐसी स्थिति बनी है कि आज भारत दुनिया के आकर्षण का केंद्र बन गया है। यह सिर्फ इसलिए बन गया है, क्योंकि हमारे संविधान में न तो यह कहा गया है कि आर्थिक रूप से ताकतवर होकर हमें आर्थिक ताकत बनना है और न ही यह कहा गया है कि दूसरों का हिस्सा लेकर भौगोलिक ताकत बनना है। हमारे देश में मानव केंद्रित विकास को प्राथमिकता दी गई है और वह हमारे भारत की संस्कृति है। मानव केंद्रित विकास को पूरी तरह से मोदी सरकार ने अपनाया है और वह भारत की संस्कृति में था, कहीं से कोई नया विचार नहीं आया था। पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, तब उन्होंने जो फिलॉस्फी दी थी, जो दर्शन दिया था, वह एकात्म मानव दर्शन का दिया था। मानव के द्वारा, मानव के विकास के द्वारा समाज का विकास और समाज के विकास के द्वारा राष्ट्र का विकास और राष्ट्र के विकास के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः और वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना के साथ हमारा यह प्रयास रहेगा, हम लोगों की कोशिश रहेगी कि हमारे देश की संस्कृति के अनुरूप हम पूरे विश्व का कल्याण भी कर सकें। उस दृष्टि से अगर कहीं आवश्यक होता है, तो संविधान में संशोधन जरूर करना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो संविधान संशोधन यहाँ सुझाए हैं, माननीय उपसभापति जी, उन्होंने जो आर्टिकल 153 कहा है, उसका कोई औचित्य नहीं है। जैसे मैंने विस्तार से आर्टिकल 153 की व्याख्या की है। उसके संबंध में मैंने कहा कि उसके लिए किसी ऐसे परंतुक के लोप करने की आवश्यकता नहीं है, वह सामान्य सा था और कांग्रेस की सरकार के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 7वें संविधान संशोधन में यह परंतुक लागू किया गया था और सुविधा के लिए किया गया था कि अगर कहीं कोई इस प्रकार से राज्यपाल है, तो वह ऐसे राज्यपाल के संबंध में था। ...(**व्यवधान**)... दूसरा उन्होंने, जो कहा है कि चुनाव के द्वारा होना चाहिए, तो चुनाव के द्वारा होने से जो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो उससे एक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी और राज्यपाल के माध्यम से देश और प्रदेश की सरकार के बीच में संबंध भी असामान्य हो सकते हैं। इस दृष्टि से उसका भी औचित्य नहीं है। तीसरा, जो उन्होंने कहा कि विधान सभा अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए या विधान सभा को यह अधिकार होना चाहिए, मैं समझता हूं कि यह तो संविधान का पूरी तरह से उल्लंघन होगा। मैं उपहास नहीं कहूंगा, हालांकि उन्होंने उपहास करने की कोशिश की है, लेकिन मैं उपहास नहीं कहूंगा। मैं उनका सम्मान करते हुए कहूंगा कि संविधान की दृष्टि से यह संभव नहीं है और उसके साथ-साथ मैं उनसे यह भी अनुरोध करूंगा कि भारत की सरकार बहुत अच्छे तरीके से संघीय संबंधों को निभा रही है। सारे प्रदेश अच्छी तरह से भारत सरकार से जुड़े हैं। सभी का विकास हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास अर्जित करते हुए सरकार काम कर रही है।

मैं माननीय सदस्य से यह अनुरोध करूंगा कि वे अपने इस संविधान संशोधन विधेयक को वापस ले लें। सरकार उनकी बात को सुनेगी। अगर उनके कोई सुझाव होंगे, उन पर भी आगे जिस तरह से सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, मेरा एक बार फिर अनुरोध है कि आप इस विधेयक को वापिस ले लीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी के बोलने के बाद और लोगों के कुछेक आग्रह आए कि हम बोलना चाहते हैं, पर नियमतः

माननीय मंत्री जी के बोलने के बाद जो मूवर हैं, Dr. V. Sivadasan will reply to the discussion. Please.

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, I am very thankful to my colleagues who have raised valuable points on the subject. One of the points they have raised is that the election of the Governors will create two power centres in the State and they also told that it will disrupt the administrative structure of the State Government. I would like to invite their attention to the election of the President of the Union of India. Has it created any parallel power structure in the Union? So, the election in itself is not a reason for the emergence of parallel power structure. A lot of Members raised this issue. In our Constituent Assembly, Dr. Ambedkar has opined that the election of the Governor will not lead to a rivalry between the elected Head of the State and the Governor. It was mentioned by Dr. Ambedkar. Sir, look at the States. Even the elected Chief Ministers are not getting the power because of the nominated Governors. Hence, I believe the argument that the election of Governor is leading to parallel power structure in the State is not very valid argument. Sir, we should not forget that India has an elected Head of the State, our hon. President. The question is whether the Governor is ready to protect the interests of the State. If he or she is not ready, then we will witness the clash between the State and the Governor. We have a lot of experience. In 2011 in *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. No comment on any Governor. For that, there are other provisions and rules. So, be specific on the principles and theory of your subject.

DR. V. SIVADASAN: Okay, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, no comment on any Governor will go on the record.

DR. V. SIVADASAN: I am only mentioning the incidents. What was happened in Gujarat?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No.

*Not recorded.

DR. V. SIVADASAN: Okay, because of your advice, I will not do that. So, what happened there is that the then Governor appointed the Lokayukta Judge.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please do not mention the name of any Governor.

DR. V. SIVADASAN: No, Sir, I am not mentioning the name.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not even the incident. There should be no mention about any conduct or any incidence about any Governor.

DR. V. SIVADASAN: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, it will not go on record. अगर आप किसी भी गवर्नर के बारे में किसी इंसिडेंट का उल्लेख करना चाहते हैं, तो उसके लिए सब्सटांटिव मोशन चाहिए। इसलिए प्लीज़, आपने जो बिल दिया है, आप उसके औचित्य पर बोलें, उसके पक्ष में बोलें, उसके जो भी रीज़ंस हों, बताएँ, but, there should be no mention about any incidence related to any Governor or anything. It should not be quoted here. It will not go on record.

DR. V. SIVADASAN: Sir, we could observe similar developments in various States. *A lot of incidents had happened. The Members of Parliament had raised a lot of issues inside the Parliament. They have requested the President of the nation for the removal of the Governor. The Tamil Nadu Government has registered their opposition on NEP in various forums. They have strongly opposed the centralisation and communalisation of education by the Union Government. *Is it a mark of respect to our great federal structure of our nation? Sir, NEET is another issue in the State of Tamil Nadu. The people of the State had strongly opposed NEET. The spirit of the people was upheld by the Assembly and they have passed the Resolution against NEET. The Governor had publicly...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, I have a point of order under Rule 238(v), "a Member while speaking shall not reflect upon the conduct of persons in high authority unless

---

* Not recorded.

the discussion is based on a Substantive Motion drawn in proper terms. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, I have already mentioned it. It is not going on record.

SHRI V. MURALEEDHARAN: It should be removed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please confine yourself to the Bill. ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): It is a very established rule that nothing can be mentioned in regard to Governor unless there is a substantive motion. The rule is very clear. But, here the hon. Member is mentioning about the institution of Governor in general, not against a particular Governor.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is mentioning incidents about particular Governors. That will not go on record. ...*(Interruptions)*... It will not go on record. If you are mentioning about incidents regarding any particular Governor, it will not go on record. ...*(Interruptions)*... I am again reminding you; confine yourself to the subject only.

Yes, Dr. John Brittas, are you on a point of order, under which rule?

DR. JOHN BRITTAS: Sir, Rule 258, since...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: One minute, let me see.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, since the Bill is based primarily on Governor, he has to respond to the activities of the Governors, without naming. It is his authority, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not under Rule 258. Dr. V. Sivadasan, please continue.

DR. V. SIVADASAN: Regarding the institution of the Governor, we have been facing a lot of issues from the office of the Governor. Members of Rajya Sabha, the Council of States, I think, have a lot of experience related to Governor's office. In * , a lot of issues are there.

---

* Not recorded.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Again, talk about the principles and not about any Governor. It will not go on record.

DR. V. SIVADASAN: I am not mentioning the name of the Governor of any State. ..*(Interruptions)*..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Be it any State. ..*(Interruptions)*.. Please.

DR. V. SIVADASAN: I am following the rules. ..*(Interruptions)*.. Here about the issue of NEET, everywhere the State Government has raised a lot of issues. But what was the position of the Governors in various States? We need to discuss and address it also in our Parliament. We should discuss it here. In our Constituent Assembly, it was discussed very thoroughly. Dr. Ambedkar had replied there in a very clear manner. Sir, incidents in * ...*(Interruptions)*..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Again you are mentioning.

DR. V. SIVADASAN: I am not mentioning. ..*(Interruptions)*.. I am not mentioning the name of the Governor.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not even of any State; It indicates that. ..*(Interruptions)*.. It will not go on record. ..*(Interruptions)*..

DR. V. SIVADASAN: Sir, if we are discussing the issues of the office of the Governor or the functioning of the Legislative Assembly, we should mention the name. ..*(Interruptions)*..

श्री उपसभापति : उसके लिए नियम हैं। Follow the rules.

DR. V. SIVADASAN: I am following the rules. ..*(Interruptions)*..

श्री उपसभापति: उसके लिए आप अलग से substantive motion लाइए। जब माननीय चेयरमैन उसको accept करेंगे, तब आप उस पर discuss कर सकते हैं। अगर आप उस पर अभी discuss करेंगे, तो कोई चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। अगर आपने किसी गवर्नर या किसी स्टेट का नाम लिया अथवा किसी incident का जिक्र किया, that will not go on record.

---

* Not recorded.

डा. वी. शिवादासन: ठीक है, सर। I am not mentioning, Sir. ..*(Interruptions)*.. I am not mentioning. ..*(Interruptions)*.. देश के अन्दर अलग-अलग स्टेट्स हैं, इसलिए मैं उनका नाम mention कर रहा हूँ। I am mentioning State's name. In * हम सबको incident पता है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not going on record. ..*(Interruptions)*..

DR. V. SIVADASAN: I am not mentioning the name; I am not mentioning the Governor's office. I am using only the name of the State. How can we avoid the name of * delete the name of * ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You bring a substantive motion on that and then you discuss. Otherwise, it will not go on record; even the name of State will not go on record. ..*(Interruptions)*.. Even the name of any State will not go on record.

DR. V. SIVADASAN: Experience from different States, including*..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Again you are doing it. ..*(Interruptions)*.. I have to stop you. ..(Interruptions).. Otherwise, I will move further. ..*(Interruptions)*.. You are not interested in debating it. ..*(Interruptions)*..

DR. V. SIVADASAN: I am not mentioning any name. ..*(Interruptions)*..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are repeating it time and again. ..*(Interruptions)*..

DR. V. SIVADASAN: Sir, I come from the State of Kerala. I am proudly representing the State of Kerala. We have a lot of experience there regarding the autonomy of different universities, autonomy of different institutions. So, here I am mentioning that in this Council of States we should discuss the issues regarding different constitutional measures and mechanisms and how we can improve the office of the Governor and the functioning of the States. In Kerala, the workers and peasant fought and forced the King to join the Indian Union. Thousands of people gave their lives for the unity of the nation and hundreds of workers were martyred for the unity of the nation. The successors of the King are receiving awards just for being the successors of King today. The voice of the workers is being suppressed by appointing Governor.

* Not recorded.

There is a famous song of the great national poet, Vallathol Narayana Menon, which means that our hearts should swell with pride when we hear the name of Bharat. Blood should boil in our veins when we hear the name of Keralam. Sir, you know what has happened there. Because of your direction, I am unable to..*(Interruptions)*..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not my direction. It is the rule. ..*(Interruptions)*.. माननीय सदस्यों ने जो रूल्स तय किये हैं, जो 1952 से चले आ रहे हैं, उन रूल्स के तहत मैं आग्रह करता हूँ। अगर आप केरल के भी किसी incident की बात करेंगे, that will not go on record. That will not go on record. You know, Dr. Sivadasan.

DR. V. SIVADASAN: In 1959, Kerala had an experience of the dismissal of the elected Government. The democratically elected Government was dismissed by the Union Government. ...*(Interruptions)*... Yes, now you are doing the same thing. ...*(Interruptions)*... * The Governor is the only constitutional authority who takes oath to protect the interests of the State. I am repeating the words, 'Governor is the only constitutional authority who takes oath to protect the interests of the people of the State.' But the role is never performed by the Governors. I, especially, am not going to add the sentence. Anyway the Governors are not ready to protect the interests of the State. It is the reality which is in front of us. It should be discussed and the Parliament should make a mechanism for a proper functioning of the office of the Governor. Before concluding, I would like to add some other points also. Legal and administrative measures are very much necessary to strengthen the federal structure of our nation. Articles 355 and 356 of the Constitution should be amended in order to incorporate safeguards to prevent misuse. The State Government should have a greater role in the administration of the rules and regulations of All India services. The Governor, that means the nominee of the Union Government, and the person from the Central services is playing a major role in the administration of the State. If not, then, federalism will be meaningless. The pocket veto of the Governors is creating various problems in front of the States. Some serious and urgent legislation of the States are kept in the Raj Bhawans without timely reply or communication. It is a serious thing. It should be discussed. That means the Governors are creating hurdles in the promotion or development of the society. Then how can the State make legislations? If a proper development measure is necessary, then, it should be addressed. The first Article of the Constitution clearly says, 'India, that is Bharat, shall be a Union of States.' The mutual respect between the Union

* Not recorded.

Government and the State Government is very much necessary. The Governor is a mere titular head of the State Government. A cordial and democratic relationship between the Governor and the State Government is inevitable. So, the Governors should be democratic and should respect and accept the diversity of the nation. The great principle of our nation is unity in diversity - diversity in culture, diversity in language, diversity in food. Diversity is the strength of our nation. Now, the people in the State are not able to consider the Governor as part of their society. A huge gap is there. I am sad to say that corporate # is continuing with the support of the legislations by the Union Government. Sir, for continuing this exploitation, they are trying to bring a division between the people. For this purpose, the Office of the Governor is being utilized. I am sure, in India, people will unite for asserting their federal and democratic rights. And, people will create a new India without discrimination. So, I am sure, we will reach our destination. People will protect the unity of this country against policies of the Indian ruling class which the Governors are promoting.

Sir, wherever we are in the country, we are able to hear the strongest words against injustice and discrimination towards the States and also towards the people. That is why I suggest a fixed tenure for Governors. It is very necessary that the State Assembly should have the right to recall him in extraordinary situation. The Governor himself has no constitutional protection now. He can be changed at mere instruction from the hon. President; it means, at the instruction of the Union Government! Sir, there is a need to change this situation.

So, I request this august House to accept the Bill and abolish the existing system of appointment of Governors. The system should be abolished and a new system will have to be introduced by this august House.

With these words, I once again request the hon. Members of this House to support this Bill.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, I wish to seek a clarification from the hon. Minister.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. We are at the third reading of the Bill.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): Sir, it is only clarification. We have enough time. I will take only a few minutes without casting any aspersion on any Government.

Expunged as ordered by the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. अब इसके बाद माननीय मंत्री को रिप्लाई भी नहीं करना है, तो क्लैरिफिकेशन की गुंजाइश नहीं बनती है। दादा, आप जानते हैं कि इसके बाद I have to follow the procedure. Please understand.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: I am only requesting the Chair.

श्री उपसभापति : इसके बाद हमें सीधे वोटिंग प्रोसेस पर जाना है, हाउस को डिसाइड करना है।

श्री सुखेंदु शेखर रॉय : सर, आप वोटिंग कराइए। मुझे सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन लेना है।

श्री उपसभापतिः अगर आपके बाद माननीय मंत्री जी बोलने वाले होते तो आप जरूर क्लैरिफिकेशन लेते। Now, Dr. V. Sivadasan, are you withdrawing the Bill? Or, should I put the motion to vote?

DR. V. SIVADASAN: Sir, I would like the Bill to be voted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am asking again. Dr. V. Sivadasan, are you withdrawing the Bill? Or, should I put the motion to vote?

DR. V. SIVADASAN: Sir, I withdraw the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Member has withdrawn the Bill. I will follow the procedure. Does the Member have the leave of the House to withdraw the Bill?

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Bill is withdrawn.

The Bill was, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will move to the next Bill. It is the Constitution (Amendment) Bill, 2020 (insertion of new article 47A). Shri Anil Desai, not present.

The Sal Leaves Collectors and Traders Welfare Bill, 2022

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will move to the next Bill. It is the Sal Leaves Collectors and Traders Welfare Bill, 2022. Dr. Sasmit Patra.